

सं. ई 13015/01/2020-रा.भा. (8095041)

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग  
(राजभाषा प्रभाग)

\*\*\*\*\*

कर्तव्य भवन 1, नई दिल्ली  
दिनांक: 23.04.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा कीर्ति पुरस्कार तथा राजभाषा गौरव पुरस्कार के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2026 को जारी संकल्पों की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जाती हैं।

आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों योजनाओं को अपने सभी प्रभागों/शाखाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों में व्यापक रूप से परिचालित करें।



(विनोद कुमार)  
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)  
टेलीफोन: 011-24013420

सेवा में,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/ नियंत्रणाधीन कार्यालय और स्वायत्तशासी/ आयुर्विज्ञान संस्थान।

प्रतिलिपि:

संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान निजी सचिव के सूचनार्थ।

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग

\*\*\*\*\*

दिनांक: ०१ मार्च, 2026

संकल्प

सं.11034/01/2023-राजभाषा(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी संकल्प सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 21.03.2023 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2025-26 से संशोधित "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब निम्नलिखित को पुरस्कृत किया जाएगा:

- क. मंत्रालय/विभाग
- ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- ग. बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट आदि
- घ. राष्ट्रीयकृत बैंक
- ड. विभागीय हिंदी पत्रिका
- च. नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

2. राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों/ट्रस्टों, आदि को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे। पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जाएंगे:-

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम कार्मिक 300 से अधिक कार्मिक	03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	03 शील्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 शील्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 शील्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय) 02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय) 02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय)
राष्ट्रीयकृत बैंक	800 से कम कार्मिक 800 से अधिक कार्मिक	03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
विभागीय हिंदी पत्रिका	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	02 (प्रथम व द्वितीय) 02 (प्रथम व द्वितीय) 02 (प्रथम व द्वितीय)
नराकास - नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय) 02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय) 02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय)

3. (क) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए प्रदान की जाने वाली शील्डों के लिए मंत्रालय/ विभाग/ उपक्रम/ बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/बैंक आदि के कार्मिकों की संख्या कम से कम 30 होने पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) राजभाषा कीर्ति/ क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले को पुरस्कार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।

4. यदि किसी मंत्रालय/विभाग को लगातार दो वर्षों तक प्रथम पुरस्कार दिया जाता है तो उसे तीसरे वर्ष पुरस्कार न देते हुए अन्य विभाग को अवसर दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।



(डॉ. निधि पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार, मुद्रणालय


मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

संख्या: 11034/01/2023-राजभाषा(नीति)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 2026

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
7. नीति आयोग, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियाँ)
13. निदेशक, जन-संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
15. सचिव (राजभाषा विभाग) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा विभाग (नीति अनुभाग) के लिए
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग: इस संकल्प को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु



(डॉ. निधि पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग  
\*\*\*\*\*

दिनांक: ०१ मार्च, 2026

संकल्प

सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति): राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 22.06.2023 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2025-26 से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिंदी में अनूदित पुस्तक हेतु संशोधित "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" लागू की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित श्रेणियों और विषयों पर पुरस्कार दिए जाएंगे:-

- (क) इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारिकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ख) विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (घ) 'ग' क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।
- (ङ) हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।

2. नाम: इस योजना का नाम 'राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना' है।

3. परिभाषाएँ: इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) "योजना" का अभिप्राय है:- उपर्युक्त (क) से (ग) तक की श्रेणियों में उल्लिखित विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में लिखित पुस्तक। साथ ही संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों की हिंदी में अनूदित पुस्तकों संबंधी "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"।
- (ii) "मौलिक" से अभिप्राय है:- मूल रूप से हिंदी में लिखी गई व प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक।
- (iii) "अनूदित" से अभिप्राय है - भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित पुस्तक या अनूदित क्लासिक साहित्य की पुस्तक।
- (iv) "पुस्तक" से अभिप्राय है:- प्रकाशित पुस्तक।
- (v) "वर्ष" से अभिप्राय है:- (क) योजना वर्ष - वित्तीय वर्ष (ख) प्रकाशन वर्ष - कैलेंडर वर्ष।
- (vi) 'ग' क्षेत्र के लेखक से अभिप्राय है:-  
(क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो।  
(ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)
- (vii) अनुवाद के विषय से अभिप्राय है :-  
(क) संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों क्लासिक साहित्य एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद।

(ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।

#### 4. उद्देश्य:

(क) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में सरकारी कामकाज में तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है। तकनीकी, विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर इत्यादि संबंधी विषयों एवं विधि के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आ रही है क्योंकि इन विषयों पर पुस्तकों की कमी है। साथ ही, इन विषयों की हिंदी शब्दावली से कम परिचित अथवा परिचित नहीं होने के कारण सरकारी कामकाज को हिंदी में करने में कार्मिकों को कठिनाई आती है।

(ख) 'ग' क्षेत्र के लेखकों को हिंदी में मूल लेखन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक नई श्रेणी शामिल की जा रही है।

(ग) इसके अलावा अनुवाद अंग्रेजी तथा अनुसूचित भारतीय भाषाओं के ज्ञान व साहित्य को हिंदी भाषी समुदाय तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण साधन है। विगत वर्षों में कई अच्छी अनूदित पुस्तकें भी प्राप्त होती रही हैं जिन्हें इस श्रेणी का पुरस्कार न होने की स्थिति में शामिल नहीं किया जा सका। माननीय गृह मंत्री जी की संकल्पना भारतीय भाषाओं और हिंदी में समन्वय बढ़ाने की रही है। अतः इन पुरस्कारों के अंतर्गत अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों की एक नई श्रेणी को शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं उत्कृष्ट अनूदित कृतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग ने यह योजना आरंभ की है।

(घ) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी से संबंधित अलग-अलग पुरस्कार योजना के लिए केवल राजभाषा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। भविष्य में किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा हिंदी संबंधी अन्य पुरस्कार योजना शुरू करने से पूर्व राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से परामर्श करना अनिवार्य होगा, ताकि पुरस्कार योजना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

#### 5. पुरस्कार विवरण:

	पुरस्कार योजना का नाम	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
क	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹2,00,000/- (दो लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (तीन)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

ख	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ग	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
घ	'ग' भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ङ	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

#### 6. पात्रता:

- लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- पुस्तक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित विषय पर लिखी अथवा अनूदित होनी चाहिए।

#### 7. सभी श्रेणियों के लिए सामान्य शर्तें:

- पुस्तक के एक से अधिक लेखक/अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा अलग-अलग प्रपत्र (प्रोफॉर्मा) भरा जाए।
- योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए केवल वही पुस्तकें स्वीकार्य हैं जो लेखक/अनुवादक की मौलिक कृति/अनुवाद हो।
- किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपरि-विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कार की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया हो तो इसकी सूचना लेखक/अनुवादक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

- (v) पुस्तक की विषय-वस्तु समीक्षात्मक एवं विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पीएचडी के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक अथवा पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी पुस्तक इस पुरस्कार योजना हेतु पात्र नहीं होगी।
- (vi) 'ग' क्षेत्र के लेखक से संबंधित शर्तें :-  
 (क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो।  
 (ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो (प्रमाण के रूप में 10 वीं व 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति अपेक्षित है)। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य तथा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)
- (vii) अनुवाद की श्रेणी से संबंधित शर्तें :  
 (क) इसके अंतर्गत संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद शामिल है।  
 (ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।  
 (ग) इस श्रेणी के तहत लेखक को अनूदित पुस्तक के साथ-साथ उसकी मूल भाषा की पुस्तक की चार-चार प्रतियाँ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।  
 (घ) प्रारम्भ में विगत दो वर्ष की प्रकाशित/अनूदित पुस्तकें प्रविष्टि हेतु आमंत्रित की जाएंगी। तत्पश्चात वर्ष 2027 से एक वर्ष पहले अर्थात् संबंधित कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान अनूदित व प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य होंगी।
- (viii) लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक पुस्तक में दिए गए आँकड़ों, तथ्यों आदि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं उनके प्रमाण में जहाँ तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
- (ix) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सह-लेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सह-लेखक को पुरस्कार में अनुपातिक राशि ही प्रदान की जाएगी।
- (x) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो।
- (xi) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- (xii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बाँट दी जाएगी।
- (xiii) पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल आईएसबीएन (ISBN) वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा।

#### 8. प्रविष्टि भेजने की विधि:

- प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाए अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार प्रतियाँ भेजी जाएं। प्रतियाँ वापस नहीं की जाएंगी।
- विधिवत भरा हुआ प्रविष्टि प्रपत्र विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक पहुँच जानी चाहिए।
- एक लेखक/अनुवादक केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।

#### 9. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी। समिति में आवश्यकतानुसार सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर-सरकारी, प्रतिष्ठित विद्वान/विशेषज्ञ भी शामिल किए जा सकते हैं। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(i)	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	अध्यक्ष
(ii)	दो गैर सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे	सदस्य
(iii)	निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन) अथवा विभाग द्वारा नाम-निर्देशित विभाग में कार्यरत समकक्ष अधिकारी	सदस्य-सचिव

- (i) प्रविष्टि भेजने वाले लेखक/अनुवादक के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में शामिल नहीं किए जाएंगे।
- (ii) प्रविष्टियों के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित मंत्रालय/विभाग के एक पदाधिकारी को मूल्यांकन समिति में जगह दी जा सकती है।
- (iii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय लेने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले।
- (iv) मूल्यांकन के मानदंड मूल्यांकन समिति स्वयं निर्धारित करेगी।
- (v) पुरस्कार प्रदान करने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- (vi) मूल्यांकन समिति में शामिल सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है। समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।
- (vii) मूल्यांकन समिति के बाहरी विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी पात्र होंगे।
- (viii) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा लिया जाएगा।

#### 10. पुरस्कार विजेताओं और पुरस्कार वितरण के बारे में घोषणा:

- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र/ईमेल द्वारा भेजी जाएगी तथा उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- (ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा।

#### 11. सामान्य सूचना:

- (i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक/अनुवादक/प्रकाशक का कॉपीराइट बना रहेगा।
- (ii) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित अथवा वायुयान (इकोनोमी श्रेणी) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था उन्हें स्वयं के खर्च पर करनी होगी।
- (iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में किसी प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

#### 12. योजना को शिथिल करने का अधिकार:


जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इस संकल्प के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

\*\*\*\*\*

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।



(डॉ. निधि पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक


भारत सरकार, मुद्रणालय  
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

संख्या: 11034/01/2023-राजभाषा(नीति)

नई दिल्ली, दिनांक 09 मार्च, 2026

## प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन-2), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प के माध्यम से संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
7. नीति आयोग, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियाँ)
13. निदेशक, जन संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
15. सचिव (राजभाषा) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा विभाग (नीति अनुभाग) के लिए
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग: इस संकल्प को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(डॉ. निधि पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

“भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना”

प्रपत्र

कृपया संबंधित पुरस्कार योजना, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, को चिह्नित करें।

(क)	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(ख)	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(ग)	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(घ)	‘ग’ क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।
(ङ)	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार – कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।

1. पुरस्कार योजना का वर्ष :  
.....
2. पुस्तक का नाम :  
.....
3. (i) लेखक/सह-लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक का नाम :  
.....  
(ii) पूरा पता (पिन कोड सहित):  
.....  
(iii) दूरभाष: .....  
(iv) मोबाइल संख्या ..... ईमेल  
.....
4. (i) प्रकाशक का नाम.....  
(ii) प्रकाशक का पूरा पता.  
.....  
(iii) प्रकाशन का वर्ष.....
5. क्या मौलिक पुस्तक/अनूदित पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है?  
हाँ/नहीं  
यदि हाँ, तो कृपया पूरा ब्यौरा  
दें.....  
.....  
.....

6. लेखक की मातृभाषा ('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए ) .....

7. क्या 10वीं व 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है ? हाँ/नहीं  
.....('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए )

8. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि-

(i) मैं .....पुत्र/पुत्री श्री  
..... भारतीय नागरिक हूँ।

(ii) मैंने पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी/अनूदित की है।

(iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। पुस्तक में दिए गए आँकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।

9. मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं उपर्युक्त मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थान.....

दिनांक .....

लेखक/सह लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक के हस्ताक्षर

नोट 1. जो लागू न हो, उसे काट दें।

नोट 2. पुस्तक के एक से अधिक लेखक/ अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

\*\*\*\*\*

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग  
\*\*\*\*\*

दिनांक: ०१ मार्च, 2026

संकल्प

सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति): राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 22.06.2023 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2025-26 से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिंदी में अनूदित पुस्तक हेतु संशोधित "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" लागू की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित श्रेणियों और विषयों पर पुरस्कार दिए जाएंगे:-

- (क) इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ख) विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (घ) 'ग' क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।
- (ङ) हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।

2. नाम: इस योजना का नाम 'राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना' है।

3. परिभाषाएँ: इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) "योजना" का अभिप्राय है:- उपर्युक्त (क) से (ग) तक की श्रेणियों में उल्लिखित विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में लिखित पुस्तक। साथ ही संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों की हिंदी में अनूदित पुस्तकों संबंधी "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"।
- (ii) "मौलिक" से अभिप्राय है:- मूल रूप से हिंदी में लिखी गई व प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक।
- (iii) "अनूदित" से अभिप्राय है - भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित पुस्तक या अनूदित क्लासिक साहित्य की पुस्तक।
- (iv) "पुस्तक" से अभिप्राय है:- प्रकाशित पुस्तक।
- (v) "वर्ष" से अभिप्राय है:- (क) योजना वर्ष - वित्तीय वर्ष (ख) प्रकाशन वर्ष - कैलेंडर वर्ष।
- (vi) 'ग' क्षेत्र के लेखक से अभिप्राय है:-  
(क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो।  
(ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)
- (vii) अनुवाद के विषय से अभिप्राय है :-  
(क) संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों क्लासिक साहित्य एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद।

(ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।

#### 4. उद्देश्य:

(क) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में सरकारी कामकाज में तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है। तकनीकी, विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर इत्यादि संबंधी विषयों एवं विधि के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आ रही है क्योंकि इन विषयों पर पुस्तकों की कमी है। साथ ही, इन विषयों की हिंदी शब्दावली से कम परिचित अथवा परिचित नहीं होने के कारण सरकारी कामकाज को हिंदी में करने में कार्मिकों को कठिनाई आती है।

(ख) 'ग' क्षेत्र के लेखकों को हिंदी में मूल लेखन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक नई श्रेणी शामिल की जा रही है।

(ग) इसके अलावा अनुवाद अंग्रेजी तथा अनुसूचित भारतीय भाषाओं के ज्ञान व साहित्य को हिंदी भाषी समुदाय तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण साधन है। विगत वर्षों में कई अच्छी अनूदित पुस्तकें भी प्राप्त होती रही हैं जिन्हें इस श्रेणी का पुरस्कार न होने की स्थिति में शामिल नहीं किया जा सका। माननीय गृह मंत्री जी की संकल्पना भारतीय भाषाओं और हिंदी में समन्वय बढ़ाने की रही है। अतः इन पुरस्कारों के अंतर्गत अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों की एक नई श्रेणी को शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं उत्कृष्ट अनूदित कृतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग ने यह योजना आरंभ की है।

(घ) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी से संबंधित अलग-अलग पुरस्कार योजना के लिए केवल राजभाषा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। भविष्य में किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा हिंदी संबंधी अन्य पुरस्कार योजना शुरू करने से पूर्व राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से परामर्श करना अनिवार्य होगा, ताकि पुरस्कार योजना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

#### 5. पुरस्कार विवरण:

	पुरस्कार योजना का नाम	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
क	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹2,00,000/- (दो लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (तीन)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

ख	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ग	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
घ	'ग' भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ङ	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

#### 6. पात्रता:

- लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- पुस्तक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित विषय पर लिखी अथवा अनूदित होनी चाहिए।

#### 7. सभी श्रेणियों के लिए सामान्य शर्तें:

- पुस्तक के एक से अधिक लेखक/अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा अलग-अलग प्रपत्र (प्रोफॉर्मा) भरा जाए।
- योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए केवल वही पुस्तकें स्वीकार्य हैं जो लेखक/अनुवादक की मौलिक कृति/अनुवाद हो।
- किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपरि-विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कार की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया हो तो इसकी सूचना लेखक/अनुवादक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

- (v) पुस्तक की विषय-वस्तु समीक्षात्मक एवं विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पीएचडी के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक अथवा पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी पुस्तक इस पुरस्कार योजना हेतु पात्र नहीं होगी।
- (vi) 'ग' क्षेत्र के लेखक से संबंधित शर्तें :-  
 (क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो।  
 (ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो (प्रमाण के रूप में 10 वीं व 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति अपेक्षित है)। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य तथा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)
- (vii) अनुवाद की श्रेणी से संबंधित शर्तें :  
 (क) इसके अंतर्गत संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद शामिल है।  
 (ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।  
 (ग) इस श्रेणी के तहत लेखक को अनूदित पुस्तक के साथ-साथ उसकी मूल भाषा की पुस्तक की चार-चार प्रतियाँ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।  
 (घ) प्रारम्भ में विगत दो वर्ष की प्रकाशित/अनूदित पुस्तकें प्रविष्टि हेतु आमंत्रित की जाएंगी। तत्पश्चात् वर्ष 2027 से एक वर्ष पहले अर्थात् संबंधित कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान अनूदित व प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य होंगी।
- (viii) लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक पुस्तक में दिए गए आँकड़ों, तथ्यों आदि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं उनके प्रमाण में जहाँ तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
- (ix) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सह-लेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सह-लेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जाएगी।
- (x) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो।
- (xi) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- (xii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बाँट दी जाएगी।
- (xiii) पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल आईएसबीएन (ISBN) वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा।

#### 8. प्रविष्टि भेजने की विधि:

- प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाए अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार प्रतियाँ भेजी जाएं। प्रतियाँ वापस नहीं की जाएंगी।
- विधिवत भरा हुआ प्रविष्टि प्रपत्र विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक पहुँच जानी चाहिए।
- एक लेखक/अनुवादक केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।

#### 9. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी। समिति में आवश्यकतानुसार सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर-सरकारी, प्रतिष्ठित विद्वान/विशेषज्ञ भी शामिल किए जा सकते हैं। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(i)	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	अध्यक्ष
(ii)	दो गैर सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे	सदस्य
(iii)	निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन) अथवा विभाग द्वारा नाम-निर्देशित विभाग में कार्यरत समकक्ष अधिकारी	सदस्य-सचिव

- (i) प्रविष्टि भेजने वाले लेखक/अनुवादक के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में शामिल नहीं किए जाएंगे।
- (ii) प्रविष्टियों के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित मंत्रालय/विभाग के एक पदाधिकारी को मूल्यांकन समिति में जगह दी जा सकती है।
- (iii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय लेने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले।
- (iv) मूल्यांकन के मानदंड मूल्यांकन समिति स्वयं निर्धारित करेगी।
- (v) पुरस्कार प्रदान करने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- (vi) मूल्यांकन समिति में शामिल सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है। समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।
- (vii) मूल्यांकन समिति के बाहरी विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी पात्र होंगे।
- (viii) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा लिया जाएगा।

#### 10. पुरस्कार विजेताओं और पुरस्कार वितरण के बारे में घोषणा:

- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र/ईमेल द्वारा भेजी जाएगी तथा उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- (ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा।

#### 11. सामान्य सूचना:

- (i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक/अनुवादक/प्रकाशक का कॉपीराइट बना रहेगा।
- (ii) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित अथवा वायुयान (इकोनोमी श्रेणी) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था उन्हें स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
- (iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में किसी प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

#### 12. योजना को शिथिल करने का अधिकार:


जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इस संकल्प के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

\*\*\*\*\*

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।



(डॉ. निधि पाण्डेय)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार, मुद्रणालय


मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

संख्या: 11034/01/2023-राजभाषा(नीति)

नई दिल्ली, दिनांक 09 मार्च, 2026

**प्रतिलिपि प्रेषित:-**

1. निदेशक (कार्यान्वयन-2), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प के माध्यम से संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
7. नीति आयोग, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियाँ)
13. निदेशक, जन संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
15. सचिव (राजभाषा) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा विभाग (नीति अनुभाग) के लिए
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग: इस संकल्प को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(डॉ. निधि पाण्डेय)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

“भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना”

प्रपत्र

कृपया संबंधित पुरस्कार योजना, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, को चिह्नित करें।

(क)	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(ख)	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(ग)	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(घ)	‘ग’ क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।
(ङ)	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।

1. पुरस्कार योजना का वर्ष :  
.....
2. पुस्तक का नाम :  
.....
3. (i) लेखक/सह-लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक का नाम :  
.....  
(ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) :  
.....  
(iii) दूरभाष: .....  
(iv) मोबाइल संख्या ..... ईमेल  
.....
4. (i) प्रकाशक का नाम.....  
(ii) प्रकाशक का पूरा पता.  
.....  
(iii) प्रकाशन का वर्ष.....
5. क्या मौलिक पुस्तक/अनूदित पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है?  
हाँ/नहीं  
यदि हाँ, तो कृपया पूरा ब्यौरा  
देें.....  
.....  
.....

6. लेखक की मातृभाषा ('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए ) .....
7. क्या 10वीं व 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है ? हाँ/नहीं  
.....('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए )
8. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि-
- (i) मैं .....पुत्र/पुत्री श्री  
..... भारतीय नागरिक हूँ।
- (ii) मैंने पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी/अनूदित की है।
- (iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। पुस्तक में दिए गए आँकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।
9. मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं उपर्युक्त मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थान.....  
दिनांक .....

लेखक/सह लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक के हस्ताक्षर

नोट 1. जो लागू न हो, उसे काट दें।

नोट 2. पुस्तक के एक से अधिक लेखक/ अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

\*\*\*\*\*

**F. No. 13015/01/2020-OL (8095041)**  
**Government of India**  
**Ministry of Health and Family Welfare**  
**Department of Health and Family Welfare**  
*(Official Language Division)*

Kartavya Bhawan-1, New Delhi  
Dated: 23.04.2026

**Office Memorandum**

**Subject:** *Regarding* Rajbhasha Kirti Puraskar and Rajbhasha Gaurav Puraskar.

Copies of the resolutions issued by the Department on 09 March, 2026, regarding the Rajbhasha Gaurav Award Scheme *and* Rajbhasha Kirti Award Scheme of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, are enclosed herewith for information.

You are requested to circulate the above-mentioned schemes widely among all officers/ employees of your divisions/ sections.

*(Vinod Kumar)*  
Joint Director (Official Language)  
Telephone: 011-24013420

**To,**

All subordinate, attached offices and autonomous/ medical institutions under the Ministry of Health and Family Welfare.

**Copy to:**

Joint Secretary (In-charge of Official Language), for information of the Principal Private Secretary, Department of Health and Family Welfare.

**(To be published in Part I, Section 1 of the Gazette of India)**  
**Government of India**  
**Ministry of Home Affairs**  
**Department of Official Language**

Dated: 09 March, 2026

**Resolution**

No 11034/01/2023-Official Language (Policy) — In supersession of the Resolution No. 11034/01/2023-Official Language (Policy) dated 21.03.2023 issued by the Department to promote the implementation of the Official Language Policy, the revised *Rajbhasha Kirti Award Scheme* is hereby introduced with effect from the year 2025–26. Under this scheme, the following shall now be awarded:

- a) Ministries/Departments
- b) Public Sector Undertakings
- c) Boards/Autonomous Bodies/Trusts, etc.
- d) Nationalized Banks
- e) Departmental Hindi Magazines
- f) Town Official Language Implementation Committees (TOLIC/ Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samiti – NARAKAS)

2. Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Nationalized Banks, Boards/Autonomous Bodies, Trusts, etc., which achieve better progress in the use of Hindi as a result of effective implementation of the Official Language Policy, shall be honored with *Rajbhasha Shields* as awards. First, Second, and Third prizes shall be awarded in the form of shields for each category. The awards shall be decided on the basis of quarterly progress reports related to the implementation of the Official Language Policy. Evaluation for the awards shall be carried out by a committee constituted with the approval of the Secretary, Department of Official Language, which will include, apart from departmental officers, non-official members as well. Under this scheme, the awards shall be presented on the occasion of **Hindi Day (Hindi Diwas)** as per the following categories and classifications:

Categories	Details	Awards
<b>Ministries/Departments</b>	Below 300 employees	03 Awards: First, Second, Third
	Above 300 employees	03 Awards: First, Second, Third
<b>Public Sector Undertakings</b>	Region 'A'	03 Shields (First, Second, Third)
	Region 'B'	03 Shields (First, Second, Third)
	Region 'C'	03 Shields (First, Second, Third)
<b>Boards/Autonomous Bodies/Trusts, etc.</b>	Region 'A'	02 Shields (First and Second)
	Region 'B'	02 Shields (First and Second)
	Region 'C'	02 Shields (First and Second)
<b>Nationalized Banks</b>	Below 800 employees	03 Awards (First, Second, Third)
	Above 800 employees	03 Awards (First, Second, Third)
<b>Departmental Hindi Magazines</b>	Region 'A'	02 Awards (First and Second)
	Region 'B'	02 Awards (First and Second)
	Region 'C'	02 Awards (First and Second)
<b>NARAKAS (Town Official Language Implementation Committees)</b>	Region 'A'	02 Shields (First and Second)
	Region 'B'	02 Shields (First and Second)
	Region 'C'	02 Shields (First and Second)

3. (a) Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings/ Boards/ Autonomous Bodies/ Trusts/ Banks, etc., shall be considered for the shields awarded under the *Rajbhasha Kirti Award* only if they have a minimum of **30 employees**.

(b) Any entity securing less than **60% marks** shall not be included in the category for *Rajbhasha Kirti / Regional Awards*.

4. If a Ministry/Department is awarded the **First Prize for two consecutive years**, it shall not be given the award in the third year, and an opportunity shall instead be given to another Department.

**ORDER**

It is hereby ordered that a copy of this Resolution be sent to all State Governments, Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, the Cabinet Secretariat, NITI Aayog, the Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

**(Dr. Nidhi Pandey)**  
**Joint Secretary to the Government of India**

To,  
The Manager,  
Government of India Press,  
Minto Road, New Delhi – 110002

No.: 11034/01/2023-Rajbhasha (Policy)

New Delhi, Dated: 09 March, 2026

**Copy forwarded to:**

1. Director (Implementation & Technical), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi – for necessary action regarding issuance of the new scheme as per the modifications made in the Resolution.
2. Chief Secretaries of all State Governments and Administrators of Union Territories
3. Secretaries of all Ministries and Departments of the Government of India
4. President's Secretariat, New Delhi
5. Prime Minister's Office, New Delhi
6. Cabinet Secretariat, New Delhi
7. NITI Aayog, New Delhi
8. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
9. Director of Accounts (Central Revenue), New Delhi
10. Lok Sabha Secretariat, New Delhi
11. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi
12. Parliament Library (15 copies)
13. Director, Public Relations (Ministry of Home Affairs), Press Information Bureau, New Delhi – with the request to issue a press note regarding this decision of the Government
14. All Officers/Sections of the Department of Official Language
15. Principal Staff Officer to the Secretary (Department of Official Language)
16. Spare copies for the Policy Section, Department of Official Language
17. Senior Technical Director, NIC, Department of Official Language – for uploading this Resolution on the Department's website

**(Dr. Nidhi Pandey)**  
**Joint Secretary to the Government of India**

(For publication in Part I, Section I of the Gazette of India)  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
Department of Official Language

Date: 09 March, 2026

**Resolution**

No. 11034/01/2023-Rajbhasha (Policy): With a view to promoting the Official Language Hindi and to encourage original book writing in Hindi, in supersession of the Resolution No. 11034/01/2023-Rajbhasha (Policy) dated 22.06.2023 issued by the Department of Official Language, the revised *Rajbhasha Gaurav Award Scheme* for original book writing in Hindi and for translated books in Hindi is hereby implemented from the year 2025–26. Under this scheme, awards shall now be given to citizens of India in the following categories and subjects:

- a) Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medical Science, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology, and contemporary topics such as Liberalization, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution, Environment, etc.
- b) Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Law, Police Research, Forensic Science, Criminology, and Police Administration, etc.
- c) Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on Culture, Religion, Art, Heritage, etc. Also, Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi by authors belonging to 'Region C' (on all the above-mentioned subjects).
- d) Rajbhasha Gaurav Award for translated books in Hindi – for translations of classic literature and works related to culture, art, and heritage.

2. **Name:** The name of this scheme shall be *Rajbhasha Gaurav Award Scheme*.

3. **Definitions:** In this scheme, unless the context otherwise requires:

- i. "Scheme" means original books written in Hindi on the subjects mentioned in categories (a) to (c) above. It also includes Hindi translations of nationally/internationally awarded books, classic works, and works of renowned authors, scholars, and eminent personalities on subjects such as culture, art, and heritage.
- ii. "Original" means a book originally written in Hindi and published for the first time.
- iii. "Translated" means a book translated into Hindi from Indian languages or English, including translated works of classical literature.
- iv. "Book" means a published book.
- v. "Year" means: (a) Scheme Year – Financial Year (b) Publication Year – Calendar Year
- vi. "Author from Region 'C'" means:
  - (a) The author's mother tongue is not Hindi.
  - (b) The author has completed schooling in a State belonging to Region 'C'. (Region 'C' includes all 8 North-Eastern States, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Goa, Jammu & Kashmir, Odisha, Lakshadweep, Puducherry, and West Bengal.)
- vii. "Subject of translation" means:
  - (a) Translation into Hindi of nationally /internationally awarded books, classical literature, and works of renowned authors, scholars, and eminent personalities on subjects such as culture, art, and heritage.

(b) In this category, translated works of departmental manuals, research written for Ph.D. and D.Litt., poetry, novels, short stories, plays, biographies, sketches, reportage, travelogues, memoirs, etc., or books written as textbooks shall not be eligible.

#### 4. Objectives:

(a) In various Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings/Banks of the Central Government, official work is also carried out on technical subjects. There is difficulty in increasing the use of Hindi in official work in fields such as technical subjects, science, forensic science, police, criminology, research, police administration, culture, religion, art, heritage, etc., and in the field of law, due to the lack of books on these subjects. Moreover, officials face difficulty in carrying out official work in Hindi due to limited or no familiarity with Hindi terminology in these subjects.

(b) A new category is being introduced to encourage authors from Region 'C' to undertake original writing in Hindi.

(c) Additionally, translation serves as an important medium for disseminating knowledge and literature in English and Scheduled Indian Languages to the Hindi-speaking community. In previous years, several good translated books were received but could not be considered due to the absence of a separate award category. The Hon'ble Home Minister has envisioned greater coordination between Indian languages and Hindi. Accordingly, a new category for translated books from English and other Indian languages into Hindi is being introduced under these awards. Thus, with the objective of promoting original book writing in Hindi on the above subjects and encouraging excellent translated works, the Department of Official Language has initiated this scheme.

(d) The Department of Official Language has been designated as the nodal department for all national-level Hindi-related award schemes of various Ministries/Departments of the Central Government. In future, it shall be mandatory for any Ministry/Department to consult the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, before introducing any new Hindi-related award scheme, so as to avoid duplication of schemes.

#### 5. Award Details:

	Name of the Award Scheme	Total number of awards	Cash prize, certificate, and memento
a	Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medical Science, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology, and contemporary topics such as Liberalization, Globalization, Consumerism, Human Rights, and Pollution	First Prize (One)	₹2,00,000 (Rupees Two Lakh), along with a certificate and memento
		Second Prize (One)	₹1,25,000 (Rupees One Lakh Twenty-Five Thousand), along with a certificate and memento
		Third Prize (One)	₹75,000 (Rupees Seventy-Five Thousand), along with a certificate and memento
		Encouragement Prizes (Three)	₹40,000 (Rupees Forty Thousand), along with an encouragement certificate and memento

<b>b</b>	<b>Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Law, Police Research, Forensic Science, Criminology, and Police Administration, etc.</b>	<b>First Prize (One)</b>	<b>₹1,50,000 (Rupees One Lakh Fifty Thousand), along with a certificate and memento</b>
		<b>Second Prize (One)</b>	<b>₹1,00,000 (Rupees One Lakh), along with a certificate and memento</b>
		<b>Encouragement Prizes (Two)</b>	<b>₹40,000 (Rupees Forty Thousand), along with an encouragement certificate and memento</b>
<b>c</b>	<b>Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Culture, Religion, Art, Heritage, etc.</b>	<b>First Prize (One)</b>	<b>₹1,50,000 (Rupees One Lakh Fifty Thousand), along with a certificate and memento</b>
		<b>Second Prize (One)</b>	<b>₹1,00,000 (Rupees One Lakh), along with a certificate and memento</b>
		<b>Encouragement Prizes (Two)</b>	<b>₹40,000 (Rupees Forty Thousand), along with an encouragement certificate and memento</b>
<b>d</b>	<b>Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi by authors from Region 'C' (on all the above-mentioned subjects).</b>	<b>First Prize (One)</b>	<b>₹1,50,000 (Rupees One Lakh Fifty Thousand), along with a certificate and memento</b>
		<b>Second Prize (One)</b>	<b>₹1,00,000 (Rupees One Lakh), along with a certificate and memento</b>
		<b>Encouragement Prizes (Two)</b>	<b>₹40,000 (Rupees Forty Thousand), along with an encouragement certificate and memento</b>
<b>e</b>	<b>Rajbhasha Gaurav Award for translated books in Hindi – for translations of classical literature (classics) and works related to culture, art, and heritage.</b>	<b>First Prize (One)</b>	<b>₹1,50,000 (Rupees One Lakh Fifty Thousand), along with a certificate and memento</b>
		<b>Second Prize (One)</b>	<b>₹1,00,000 (Rupees One Lakh), along with a certificate and memento</b>
		<b>Encouragement Prizes (Two)</b>	<b>₹40,000 (Rupees Forty Thousand), along with an encouragement certificate and memento</b>

#### **6. Eligibility:**

- i. The author/co-author or translator/co-translator must be a citizen of India.
- ii. The book must be written or translated on the subjects mentioned in the above table.

#### **7. General Conditions for All Categories:**

- i. In case of more than one author/translator of a book, each co-author/co-translator shall submit a separate application form (proforma).
- ii. Under the scheme, only those books shall be accepted which are original works of the author or translations carried out by the translator.
- iii. Books that have already been awarded by any Government organization shall not be eligible. If a book is awarded under any other award scheme before the declaration of

- awards under this scheme, the author/translator must immediately inform the Department of Official Language.
- iv. Under the scheme, only books published between **1st January and 31st December** shall be eligible
  - v. The content of the book should be critical and analytical in nature. Research works written for Ph.D., as well as books written in the form of poetry, novels, short stories, plays, or textbooks, shall not be eligible for this award scheme.
  - vi. **Conditions relating to authors from Region 'C':**
    - (a) The author's mother tongue should not be Hindi.
    - (b) The author must have completed their schooling from a State belonging to Region 'C' (copies of Class 10 and Class 12 certificates are required as proof). (Region 'C' includes all 8 North-Eastern States, as well as Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Goa, Jammu & Kashmir, Odisha, Lakshadweep, Puducherry, and West Bengal.)
  - vii. **Conditions relating to the translation category:**
    - (a) This category includes Hindi translations of nationally/internationally awarded books, classic works, and works of renowned authors, scholars, and eminent personalities on subjects such as culture, art, and heritage.
    - (b) In this category, translated works of departmental manuals, Ph.D. research, poetry, novels, short stories, plays, biographies, sketches, reportage, travelogues, memoirs, etc., or books written as textbooks shall not be eligible.
    - (c) Under this category, it shall be mandatory for the author to submit four copies each of the translated book as well as the original book in its original language.
    - (d) Initially, entries will be invited for translated books published during the previous two years. Thereafter, from the year 2027 onwards, only books translated and published during the relevant calendar year (from 1st January to 31st December) shall be eligible.
  - viii. The author/co-author or translator/co-translator shall be solely responsible for the data, facts, etc. given in the book and shall, as far as possible, provide references in support thereof.
  - ix. If a person has received any award under any scheme of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, during the previous three years, their entry shall not be considered. However, a co-author (if any) may participate in the scheme. The co-author shall be awarded only a proportionate share of the prize amount.
  - x. The book must contain at least 100 pages.
  - xi. If the Evaluation Committee concludes that none of the entries received are worthy of any award, its decision in this regard shall be final.
  - xii. If a selected book has more than one author, the prize money shall be equally distributed among them.
  - xiii. Under the award scheme, only books having an ISBN (International Standard Book Number) shall be considered.

## **8. Procedure for Sending Entries:**

- i. Entries must be submitted along with the prescribed proforma given in the annexure; otherwise, they will not be accepted.
- ii. Four copies of the book must be submitted with each entry. The copies will not be returned.
- iii. The duly filled entry form must reach the Department by the prescribed last date.
- iv. One author/translator may submit only one entry.

## 9. Evaluation Process of Books:

The books shall be evaluated on the basis of criteria determined by the Department of Official Language, by an Evaluation Committee constituted by the Department. The Committee shall be chaired by the Joint Secretary, Department of Official Language. In addition to Government members, reputed non-government scholars/experts may also be included as required. The composition of the Committee shall be as follows:

i.	Joint Secretary, Department of Official Language	Chairperson
ii.	Two non-official members to be nominated annually by the Department of Official Language	Members
iii.	Director/Deputy Director (Implementation) or an equivalent officer working in the Department, to be nominated as	Member Secretary

- i. The close relatives of the author/translator submitting the entry shall not be included in the Evaluation Committee.
- ii. For the evaluation of entries, an (officer) from the concerned Ministry/Department related to the subject may be included in the Evaluation Committee.
- iii. The Evaluation Committee shall have the authority to seek the opinion of subject experts before taking a decision on any book.
- iv. The Evaluation Committee shall determine its own criteria for evaluation.
- v. In case there is no unanimity regarding the conferment of awards, the decision shall be taken by majority. If there is an equal number of votes for and against any decision, the Chairperson shall have the right to cast a deciding vote.
- vi. The Government members included in the Evaluation Committee shall receive Travel Allowance (TA) and Daily Allowance (DA) from the same source from which they draw their salary. Non-official members of the Committee shall be entitled to TA/DA as per the instructions issued by the Government of India from time to time and applicable during the relevant period.
- vii. External experts of the Evaluation Committee shall also be entitled to honorarium as determined by the Department of Official Language.
- viii. The final decision on the recommendations of the Evaluation Committee shall be taken by the Department of Official Language.

## 10. Announcement of Awardees and Distribution of Awards

- i. Information regarding the awards shall be communicated to all awardees through email and will also be uploaded on the website of the Department of Official Language.
- ii. The awards shall be distributed on a date fixed by the Department of Official Language.

## 11. General Information:

- i. The copyright of the awarded book shall remain with the author/translator/publisher.
- ii. Awardees coming from outside the place of the award ceremony shall be entitled to reimbursement of travel expenses equivalent to AC-II tier (or economy class airfare) for to-and-fro journey, along with Daily Allowance as per Government of India rules. They shall make their own arrangements for accommodation at their own expense.
- iii. No correspondence shall be entertained regarding the conferment of awards or the selection process of books for awards.

**12. Power to Relax the Scheme:**

- i. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this Resolution by an order.

**Order**

It is hereby ordered that a copy of this Resolution be forwarded to all Ministries/Departments of the Government of India, the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, the Cabinet Secretariat, NITI Aayog, the Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, all State Governments, and the Administrations of Union Territories.

It is also ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for public information.

(Dr. Nidhi Pandey)  
Joint Secretary to the Government of India

**To,**

The Manager,  
Government of India Press,  
Minto Road, New Delhi – 110002

No.: 11034/01/2023-Rajbhasha (Policy)

New Delhi, dated 09 March, 2026

**Copy forwarded to:**

1. Director (Implementation-2), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi – for necessary action regarding issuance of the new scheme as modified through the Resolution.
2. Chief Secretaries of all State Governments and Administrators of Union Territories.
3. Secretaries of all Ministries and Departments of the Government of India.
4. President's Secretariat, New Delhi.
5. Prime Minister's Office, New Delhi.
6. Cabinet Secretariat, New Delhi.
7. NITI Aayog, New Delhi.
8. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
9. Director of Accounts (Central Revenues), New Delhi.
10. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
11. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
12. Parliament Library (15 copies).
13. Director, Public Relations (Ministry of Home Affairs), Press Information Bureau, New Delhi – with the request to issue a press note regarding this decision of the Government.
14. All Officers/Sections of the Department of Official Language.
15. Principal Staff Officer to the Secretary (Official Language).
16. Additional copy for the Department of Official Language (Policy Section).
17. Senior Technical Director, NIC, Department of Official Language – for uploading this Resolution on the Department's website.

(Dr. Nidhi Pandey)  
Joint Secretary to the Government of India

**“Rajbhasha Gaurav Award Scheme for Original Book Writing in Hindi for the Citizens of India”**

**Form**

Please tick (✓) the relevant award scheme for which the application is being submitted:

<b>a.</b>	Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology, and contemporary topics like Liberalization, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution, Environment, etc.	
<b>b.</b>	Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Law, Police Research, Forensic Science, Criminology, Police Administration, etc.	
<b>c.</b>	Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Culture, Religion, Art, Heritage, etc.	
<b>d.</b>	Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi by authors belonging to 'Region C' (on all the above-mentioned subject categories).	
<b>e.</b>	Rajbhasha Gaurav Award for translated books in Hindi—applicable to translated works related to classical literature (classics), and subjects concerning culture, art, and heritage.	

**(a)** Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology, and contemporary topics like Liberalization, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution, Environment, etc.

**(b)** Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Law, Police Research, Forensic Science, Criminology, Police Administration, etc.

**(c)** Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi on subjects such as Culture, Religion, Art, Heritage, etc.

**(d)** Rajbhasha Gaurav Award for original book writing in Hindi by authors belonging to 'Region C' (on all the above-mentioned subject categories).

**(e)** Rajbhasha Gaurav Award for translated books in Hindi—applicable to translated works related to classical literature (classics), and subjects concerning culture, art, and heritage.

**1. Year of the Award Scheme**

.....

**2. Title of the Book**

.....

3. (i) Name of Author/Co-author/Translator/Co-translator

.....

(ii) Full Address (with PIN code)

.....

(iii) Telephone .....

(iv) Mobile Number ..... Email .....

4. (i) Name of the Publisher .....

(ii) Full Address of the Publisher

.....

(iii) Year of Publication .....

5. **Whether the original/ translated book has previously received any award from a Government organization? Yes/No**

If yes, please provide full details.

.....

.....

.....

.....

6. **Mother tongue of the author** (for authors belonging to 'Region C') .....

7. **Whether copies of the Class 10th and 12th certificates have been enclosed?**

Yes/No ..... (For authors belonging to 'Region C')

8. **I hereby certify that:**

(i) I ..... am a citizen  
of India. Son/ Daughter of Shri .....

(ii) I have originally written/translated the book in Hindi.

(iii) Submission of my book under this scheme does not violate the copyright of any other person. I am solely responsible for the data and facts presented in the book.

9. I undertake that I shall abide by the provisions of the above Rajbhasha Gaurav Award Scheme for original book writing.

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature of Author/Co-author/Translator/Co-translator

**Note 1:** Strike out whichever is not applicable.

**Note 2:** In case of more than one author/translator, each co-author/co-translator should fill a separate form.